

परियोजना का नाम – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर-कुमाल्डा- कदूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से रगड़गांव मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-15.675 किमी०) के निर्माण हेतु 9.887 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि- 7.455 है० तथा सिविल सोयम / वन पंचायत भूमि- 2.432 है० कुल 9.887 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है" ।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का औसत घनत्व 0.4 है । जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 8,45,000=00(रू० आठ लाख पैतालीस हजार हजार) मात्र है । उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 83,54,515=00(रू० तिरासी लाख चवन हजार पैंच सौ पन्द्रह मात्र) किया गया है । जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा ।


प्रमाणनीय वनाधिकारी
मसुरी वन प्रभाग, मसुरी